

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत ग्राम खोली में स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 है० की दुगुनी 5.696 है० भूमि, जो ग्राम कालापैरकापडी, तहसील, कपकोट के गैर ज०वि० खतौनी श्रेणी 9(3) ख के खाता संख्या -13 खेत नम्बर 716 मध्ये 1.660 है०, 769 रकवा 1.320 है०, खेत नम्बर 917 रकवा 1.420 है०, खेत नम्बर 921 रकवा 0.800 है० कुल 5.20 है० भूमि तथा ग्राम हरकोट गै०ज०वि०ख०खा० संख्या-41 श्रेणी 9(3) ख के खेत नम्बर 25 रकवा 2.000 है० मध्ये कुल 0.496 है० भूमि शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या- 8वी/यू०सी०पी० /09/12/2021/एफ०सी०/2483 दिनांक 17.03.2021 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: 101 / छब्बीस-14 वन /2018-19/2022 दिनांक 23/4 /2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी, कपकोट।
03. जिला क्रीडा अधिकारी, बागेश्वर।
04. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।